रजिस्टर्ड नं० HP/13/SML/2003.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, वीरवार, 17 जुलाई, 2003/26 आषाढ़, 1925

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

शिमला-171004, 17 जुलाई, 2003

संख्या वि० स०-विधायन-अ० मांगे/1-63/2003.—हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 3) विधेयक, 2003 (2003 का

1553-राजपत्र/2003-17-7-2003—1,390.

मूल्य : 1 रुपया।

विधेयक संख्यांक 3) जो आज दिनांक 17 जुलाई, 2003 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्वसाधारण की सूचनार्थ असाधारण राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

अजय भण्डारी,
सचिव।

2003 का विधेयक संख्यांक 3

हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 3) विधेयक, 2003

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से, वित्तीय वर्ष 1998-99 में, कतिपय सेवाओं पर, उन सेवाओं के लिए उस वर्ष के लिए प्राधिकृत या मंजूर की गई रकम से अधिक व्यय की गई रकम को पूरा करने के लिए, कतिपय रकम के विनियोजन को प्राधिकृत करने का उपबन्ध करने के लिए **विधेयक** ।

भारत गणराज्य के चौवनवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

संक्षिप्त नाम ।

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 3) अधिनियम, 2003 है ।

हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से वित्तीय वर्ष 1998-99 के लिए कतिपय व्ययों को पूरा करने के लिए 18,33,10 47,278 रुपए की और राशि प्राधिकृत करना ।

2. हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से अनुसूची के तृतीय स्तम्भ में विनिर्दिष्ट राशियां, जिनका योग 18,33,10,47,278 रुपए (अठारह अरब, तैंतीस करोड़, दस लाख, सैंतालीस हजार, दो सौ अठहतर रुपए) है, वित्तीय वर्ष 1998-99 के दौरान अनुसूची के द्वितीय स्तम्भ में विनिर्दिष्ट सेवाओं से सम्बन्धित प्रभारों को चुकाने के लिए, उन सेवाओं और उस वर्ष के लिए प्राधिकृत या मंजूर की गई रकम से अधिक व्यय की गई रकम को पूरा करने के लिए संदत्त किए जाने और उपयोजन के लिए प्राधिकृत समझी जाएंगी ।

विनियोग ।

3. इस अधिनियम के अधीन, हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से संदत्त और उपयोजन के लिए प्राधिकृत समझी जाने वाली राशियां, वित्तीय वर्ष 1998-99 से सम्बन्धित अनुसूची में अभिव्यक्त, सेवाओं और प्रयोजनों के लिए विनियोजित समझी जाएंगी ।

अनुसूची

(धाराएं 2 और 3 देख)

1	2		3		
मांग संख्या	सेवाएं एवं प्रयोजन		निम्नलिखित राशियों से अनधिक		
			विधान सभा द्वारा दत्तमत	संचित निधि पर प्रभारित	जोड़
			रुपए	रुपए	रुपए
1	विधान सभा और निर्वाचन	(राजस्व)	21,21,295	—	21,21,295
2	राज्यपाल और मन्त्री परिषद्	(राजस्व)	—	1,95,026	1,95,026
4	सामान्य प्रशासन	(पूंजी)	13,79,36,308	—	13,79,36,308
8	शिक्षा, खेलें, कला और संस्कृति	(राजस्व)	46,97,77,194	—	46,97,77,194
		(पूंजी)	11,74,501	—	11,74,501
9	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	(राजस्व)	24,62 38,870	—	24,62,38,870
10	लोक निर्माण	(राजस्व)	93,79,21,510	—	93,79,21,510
		(पूंजी)	1,42,36,796	—	1,42,36,796
11	कृषि	(राजस्व)	18,92,02,857	—	18,92,02,857
12	सिंचाई और बाढ़ नियन्त्रण	(राजस्व)	6,60,71,210	—	6,60,71,210
		(पूंजी)	2,27,22,794	—	2,27,22,794
13	भूमि और जल संरक्षण	(राजस्व)	1,71,75,322	—	1,71,75,322
14	पशु पालन और दुग्ध विकास	(राजस्व)	1,73,00,588	—	1,73,00,588
		(पूंजी)	31,836	—	31,836
17	सड़कें और पुल	(राजस्व)	4,74,22,743	—	4,74,22,743
		(पूंजी)	13,91,48,402	—	13,91,48,402
18	आपूर्ति, उद्योग और खनिज	(राजस्व)	78,22,692	—	78,22,692
20	ग्रामीण विकास	(पूंजी)	158	—	158
21	सहकारिता	(पूंजी)	11,53,51,840	—	11,53,51,840
23	जल और विद्युत विकास	(पूंजी)	19,89,99,000	—	19,89,99,000
24	लेखन सामग्री एवं मुद्रण	(पूंजी)	8,714		8,714
25	सड़क, जल परिवहन और नागर विमानन।	(राजस्व)	16,81,50,932	—	16,81,50,932
		(पूंजी)	44,04,000	—	44,04,000
28	जलापूर्ति, सफाई, आवास और नगर विकास।	(राजस्व)	44,02,83,794	—	44,02,83,794
		(पूंजी)	17,00,79,871	15,120	17,00,94,991
29	वित्त	(पूंजी)	—	14,82,26,14,199	14,82,26,14,199
31	जनजातीय विकास	(राजस्व)	9,46,39,706	—	9,46,39,706
	जोड़ ..		3,50,82,22,933	14,82,28,24,345	18,33,10,47,278

उद्देश्यों और कारणों का कथन

यह विधेयक, भारत के संविधान के अनुच्छेद 205 के खण्ड (1) के साथ पठित, अनुच्छेद 204 के खण्ड (1) के अनुसरण में हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से वित्तीय वर्ष 1998-99 के दौरान अनुदान और विनियोग से अधिक किए गए व्यय को पूरा करने के लिए और अधिक धन के विनियोजन का उपबन्ध करने के लिए पुरःस्थापित है।

वीरभद्र सिंह,
मुख्य मन्त्री।

शिमला :
तारीख 17 जुलाई, 2003

भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन राज्यपाल की सिफारिशें

[वित्त विभाग, फाईल सं0 फिन-ए-डी (6) 1/2002]

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 3) विधेयक, 2003 की विषय-वस्तु के बारे में सूचित किए जाने के पश्चात्, भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन, उक्त विधेयक को विधान सभा में पुरःस्थापित करने और उस पर विचार करने की सिफारिश करते हैं।

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Bill No. 3 of 2003.

THE HIMACHAL PRADESH APPROPRIATION (NO. 3) BILL, 2003

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

to provide for the authorisation of appropriation of certain amount out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh to meet the amount spent on certain services for the financial year, 1998-99 *in excess of the amount authorised or granted for those services for that year.*

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Fifty-fourth Year of the Republic of India, as follows :—

Short title.

1. This Act may be called the Himachal Pradesh Appropriation (No. 3) Act, 2003.

Authorisation of a further sum of Rs. 18,33,10,47,278 out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh to meet certain expenditure for the financial year 1998-99.

2. From and out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh, the sums specified in column (3) of the Schedule amounting in the aggregate to the sum of Rs. 18,33,10,47,278 (eighteen hundred thirty three crore, ten lakh, forty seven thousand, two hundred seventy eight rupees) shall be deemed to have been authorised to be paid and applied to meet the amount spent for defraying the charges in respect of the services specified in column (2) of the Schedule during the financial year, 1998-99 in excess of the amount authorised or granted for those services and for that year.

Appropriation.

3. The sums deemed to have been authorised to be paid and applied from and out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh under this Act shall be deemed to have been appropriated for the services and purposes expressed in the Schedule in relation to the financial year, 1998-99.

THE SCHEDULE

(*See* sections 2 and 3)

1	2		3		
Number of Demand	Services and purposes		Sums not exceeding		
			Voted by the Legislative Assembly	Charged on the Consolidated Fund	Total
			Rs.	Rs.	Rs.
1	Vidhan Sabha and Election	(Revenue)	21,21,295	—	21,21,295
2	Governor and Council of Ministers	(Revenue)	—	1,95,026	1,95,026
4	General Administration	(Capital)	13,79,36,308	—	13,79,36,308
8	Education, Sports, Art and Culture	(Revenue)	46,97,77,194	—	46,97,77,194
		(Capital)	11,74,501	—	11,74,501
9	Health and Family Welfare	(Revenue)	24,62,38,870	—	24,62,38,870
10	Public Works	(Revenue)	93,79,21,510	—	93,79,21,510
		(Capital)	1,42,36,796	—	1,42,36,796
11	Agriculture	(Revenue)	18,92,02,857	—	18,92,02,857
12	Irrigation and Flood Control	(Revenue)	6,60,71,210	—	6,60,71,210
		(Capital)	2,27,22,794	—	2,27,22,794
13	Soil and Water Conservation	(Revenue)	1,71,75,322	—	1,71,75,322
14	Animal Husbandry and Diary Development	(Revenue)	1,73,00,588	—	1,73,00,588
		(Capital)	31,836	—	31,836
17	Roads and Bridges	(Revenue)	4,74,22,743	—	4,74,22,743
		(Capital)	13,91,48,402	—	13,91,48,402
18	Supplies, Industries and Minerals	(Revenue)	78,22,692	—	78,22,692
20	Rural Development.	(Capital)	158	—	158
21	Co-operation	(Capital)	11,53,51,840	—	11,53,51,840
23	Water and Power Development	(Capital)	19,89,99,000	—	19,89,99,000
24	Stationery and Printing	(Capital)	8,714	—	8,714
25	Road, Water Transport and Civil Aviation.	(Revenve)	16,81,50,932	—	16,81,50,932
		(Capital)	44,04,000	—	44,04,000
28	Water Supply, Sanitation, Housing and Urban Development.	(Revenue)	44,02,83,794	—	44,02,83,794
		(Capital)	17,00,79,871	15,120	17,00,94,991
29	Finance	(Capital)	—	14,82,26,14,199	14,82,26,14,199
31	Tribal Development	(Revenue)	9,46,39,706	—	9,46,39,706
		Total ..	3,50,82,22,933	14,82,28,24,345	18,33,10,47,278

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

This Bill is introduced in pursuance of clause (1) of article 204 read with clause (1) of article 205 of the Constitution of India to provide for the appropriation from and out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh of the moneys further required to meet the expenditure on account of expenses in excess of grants and appropriations for the financial year, 1998-99.

VIRBHADRA SINGH,
Chief Minister.

SHIMLA :
The 17 *July*, 2003.

RECOMMENDATIONS OF THE GOVERNOR UNDER ARTICLE 207 OF THE CONSTITUTION OF INDIA

[Finance Department File No. Fin. A-D (6) 1/2002]

The Governor, Himachal Pradesh, having been informed of the subject matter of the Himachal Pradesh Appropriation (No. 3) Bill, 2003, recommends, under article 207 of the Constitution of India, the introduction and consideration of the aforesaid Bill in the Legislative Assembly.

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित